उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-5

संख्या-89/2015/603/1-5-2015-116/2014

लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 3, सन् 1901) की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद मैनपुरी में एक नई तहसील सृजित करते हैं, जो तहसील घिरोर के नाम से जानी जायेगी, जिसका मुख्यालय कस्बा घिरोर होगा, जिसमें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्राम समाविष्ट होंगे और विद्यमान तहसील मैनपुरी एवं करहल की सीमाओं को उसमें से उक्त ग्रामों को अपवर्जित करके परिवर्तित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

तहसील मैनपुरी एवं करहल से अपवर्जित किये गये और नवसृजित तहसील घिरोर में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूचीः-

तहसील मैनपुरी से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम							
1	औरंगाबाद	23	नगला सावज	45	ओय	67	फाजिलपुर
2	शहजादपुर	24	देवपुरा	46	हिम्मतपुर हडाई	68	कोसमा हिनूद
3	अहमदपुर	25	तिसाह	47	शाहजहांपुर	69	कैरावली
4	उसनीधा	26	नसीरपुर	48	नगला फतेखां	70	अम्बरपुर
5	हाजीपुर	27	मधन	49	बमरौली	71	अटाहरैना
6	कोठिया	28	नगला कंचन	50	कोसोन	**तहसील करहल से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम**	
7	नगला मांझ	29	नगला अमरसिंह	51	नाहिली	72	पहाडपुर
8	नाहिल कठेंगरा	30	विक्रमपुर	52	घिरोर खास	73	कारूखेडा
9	अचलपुर	31	पचावर	53	मुहम्मदपुर घिरोर	74	बीनेपुर
10	बालमपुर	32	कनेगी	54	ताहरपुर	75	इस्माइलपुर
11	गढिया सकत	33	बादशाहपुर	55	गोधना	76	अब्दुल नवीपुर
12	गुराई	34	धौरासी	56	हिम्मतपुर उजियारी	77	डालूपुर
13	नगला मिन्ते	35	नगला इन्द्र	57	लपगवां	78	नगला मानधाता
14	नगला देवी	36	दारापुर	58	कल्होर पछां	79	मढामई
15	रम्पुरा	37	लोहवल खेडा	59	कल्होर पुवां	80	सराय मुगलपुर
16	अकबरपुर औंछा	38	नगला पुनू	60	विघरई	81	हाजीपुर नेरा
17	वुढर्रा	39	भुगाई	61	महटौली	82	बलपुरा
18	नीलकंठपुर	40	हडाई	62	दन्नाहार	83	बहसी
19	नगला सलेही	41	कुरावली	63	भटानी	84	कनिकपुर खिजरपुर
20	नगला महानन्द	42	गढिया खास	64	दरवाह	85	सजावारपुर
21	चीतई	43	फैजपुर	65	बम्होरी अवाहार	86	रहमतुल्लापुर
22	पडरिया	44	नगला रामा	66	कोसमा मुसलमीन		

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-89/2015/603/1-5-2015-116/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिलाधिकारी, मैनपुरी।

2- प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त निदेशक राजकीय प्रेस शाखा, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को तत्काल दिनांक 08 जून, 2015 के असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित 500 मुद्रित प्रतियां शासन के राजस्व अनुभाग-5, 20 प्रतियां जिलाधिकारी, मैनपुरी, 20 प्रतियां आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा तथा 50 प्रतियां आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8- राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ/निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.89/2015/603 /1-5-2015-116/2014, dated 08 June, 2015 for general information :-

Notification

No. 89/2015/603 /1-5-2015-116/2014
Lucknow, Dated 08 June, 2015

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 11 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. III of 1901) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. I of 1904) and in partial modification of Government notifications issued earlier in this behalf, the Governor is pleased to create a new tahsil to be known as tahsil Ghiror in district Mainpuri with its Headquarters at Kasba Ghiror comprising the villages specified in the Schedule below and to alter the limits of existing tahsil Mainpuri and Karhal by excluding the said villages there from with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

Schedule

List of villages excluded from tahsil Mainpuri and Karhal and included in the newly created tahsil Ghiror.

Excluded villages name from tahsil Mainpuri							
1	Aurangabad	23	Nagla Sawaj	45	Oay	67	Fajilpur
2	Shahjadpur	24	Devpura	46	Himmatpur Hadai	68	Kosama Hinood
3	Ahamadpur	25	Tisah	47	Shahjahanpur	69	Kairawali
4	Usneedha	26	Nasirpur	48	Nagla Fattekhan	70	Ambarpur
5	Hajipur	27	Madhan	49	Bamrauli	71	Ataharaina
6	Kothiya	28	Nagla Kanchan	50	Koson	**Excluded villages name from tahsil Karhal**	
7	Nagla Manjh	29	Nagla Amar Singh	51	Nahili	72	Pahadpur
8	Nahil Kathengra	30	Vikrampur	52	Ghiror Khas	73	Karukheda
9	Achalpur	31	Pachawar	53	Mohammadpur Ghiror	74	Beenepur
10	Balampur	32	Kanegi	54	Taharpur	75	Eshmailpur
11	Gadiya Sakat	33	Badshahpur	55	Godhana	76	Abdulnavipur
12	Gurai	34	Dhaurasi	56	Himmatpur Ujiyari	77	Dalupur
13	Nagla Minte	35	Nagla Indra	57	Lapgawan	78	Nagla Mandhata
14	Nagla Devi	36	Darapur	58	Kalhor Pachhan	79	Madhamai
15	Rampura	37	Lohwal Kheda	59	Kalhor Puwan	80	Sarai Mugalpur
16	Akbarpur Aunchha	38	Nagla Punu	60	Vighrai	81	Hajipur nera
17	Budharra	39	Bhugai	61	Mahtauli	82	Balpura
18	Neelkanthpur	40	Hadai	62	Dannahar	83	Bahashi
19	Nagla Salehi	41	Kurawali	63	Bhatani	84	Kanikpur khijarpur
20	Nagla Mahanand	42	Gadia Khas	64	Darwah	85	Sajawarpur
21	Cheetai	43	Faijpur	65	Bamhori Awahar	86	Rahamtullapur
22	Padariya	44	Nagla Rama	66	Kosma Musalmeen		

By Order,
Suresh Chandra
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।